# ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

## आर0ई0आर0 केश सं0– 254 / 16–17

## बालदेव प्र0 साह बनाम् प्रमोद साह

## –: आदेश :–

28.12.2021

वर्त्तमान वाद आवेदक बालदेव प्र0 साह, पे0–स्व0 रामेश्वर प्र0 साह, सा0–पिरोजपुर, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–पत्तीचक नं0–503, जमाबंदी नं0–42, प्लॉट नं0–382 के अंदर रकवा–00–10–00 धूर भूमि से विपक्षी प्रमोद साह, पे0–रामेश्वर साह, उषा देवी, पति–स्व0 राजेन्द्र साह, दोनों सा0–अमजोरा पिरोजपुर, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि आवेदक के हिस्से की भूमि तथा आवेदक महर्षि मेंही आश्रम, पत्तीचक के सेवक हैं। प्रासंगिक भूमि मो0 लहरी के नाम से पर्चा में दर्ज है। मो0 लहरी के मृत्युपरांत कार्तिक साह प्रासंगिक भूमि के कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी हुए, जिसे कार्तिक साह द्वारा पूर्व में सेवा आश्रम को दान कर दिया गया था। विपक्षीगण जबरन प्रासंगिक भूमि हड़पना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची का WP(c) नं0–2895 / 2002 आदेश की छाया प्रति, आयुक्त, भागलपुर 1961 में पारित आदेश की छाया प्रति समर्पित करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् प्रासंगिक भूमि से विपक्षी को उच्छेद करते हुए आवेदक को दखल दिहानी दिलाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद विपक्षीगण पर चलने योग्य नहीं है। प्रासंगिक मौजा अंतर्गत कुल रकवा–10–03–12 धूर भूमि खतियानी रैयत मो0 लहरी जौजे चुरामन साह व खीरू साह वल्द बन्दे साह व भुसकारी साह व महावीर साह, पे0–चीतकु साह, कौम–तेली के नाम से गत सर्वे पर्चा में दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज नहीं है और आवेदक का प्रासंगिक भूमि से कोई सरोकार नहीं है। आवेदक पूर्णतः बाहरी व्यक्ति हैं। आवेदक प्रासंगिक भूमि हड़पने की नीयत से गलत ढंग से शपथ पत्र के माध्यम से प्रासंगिक भूमि महर्षि आश्रम संचालन हेतु अनाथआश्रम को स्वेच्छा से दान के रूप में कार्तिक साह द्वारा लिखवा लिया है, जबकि आवेदक को अनाथ आश्रम पर कोई अधिकार नहीं है। आवेदक का जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। शपथ पत्र सं0–289, दिनांक–08.02.2009 के द्वारा प्रासंगिक भूमि का बंटवारा उभय पक्ष के बीच किया जा चुका है। वर्त्तमान में प्रासंगिक भूमि के अंश भाग पर विपक्षी का मकान बना हुआ है, जिसमें वे शांतिपूर्ण ढंग से निवास कर रहे हैं। साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र की छाया प्रति, झारखंड उच्च न्यायालय के चैं नं0–3771 / 2002 में पारित आदेश की छाया प्रति, B.P. Jha J. 05-12-1984 C.W.J.C. 1970 of 1975 में पारित आदेश की छाया प्रति समर्पित करते हुए आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक–784 / रा0, दिनांक–24.07.2021 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक भूमि अंतर्गत कुल रकवा–10–03–12 धूर जमीन खतियानी रैयत मो0 लहरी जौजे चुरामन साह व खीरू साह वल्द बन्दे साह व भुसकारी साह व महावीर साह, पे0–चीतकु साह, कौम–तेली के नाम से गत सर्वे पर्चा में दर्ज है। प्रासंगिक भूमि पर उभय पक्ष अपना–अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। उपलब्ध कागजात के अवलोकनोपरांत पाया गया कि शपथ पत्र सं0–8091, दिनांक–04.11.2006 से प्रासंगिक भूमि महर्षि मेंही आश्रम संचालन हेतु अनाथाश्रम को कार्तिक प्र0 साह, माता–जागेश्वरी देवी,

पे0—बलदेव प्र0 साह के द्वारा दान स्वरूप दिया गया है, जबकि विपक्षी द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कार्तिक साह के द्वारा प्रासंगिक मौजा के दाग नं0—383 एवं 420 क्रमशः रकवा—01—15—07 धूर एवं 01—02—00 धूर, कुल रकवा—02—17—07 धूर जमीन शपथ पत्र सं0—1335, दिनांक—28.02.2009 के माध्यम से चन्द्रदेव साह व प्रमोद साह व राधा देवी को दिया गया है। वर्त्तमान में प्रासंगिक भूमि पर विपक्षी एवं अन्य लोगों का मकान तथा बॉउन्ड्री बना हुआ है। शपथकर्त्ता कार्तिक साह भागलपुर, बिहार में रहते हैं। वंशावली के आधार पर उभय पक्ष पंजी—2 रैयत के वंशज नहीं हैं। साथ ही वर्त्तमान में प्रासंगिक भूमि पर बालदेव प्रसाद साह उर्फ स्वामी बालानंद बाबा द्वारा बनाया गया जीर्णशीर्ण चाहरदिवारी स्थित है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा के जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत स्पष्ट है कि उभय पक्ष का जमाबंदी रैयत के साथ कोई संबंध नहीं है तथा प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण का मकान तथा बाउन्ड्री बना हुआ है, जिसमें विपक्षीगण सपरिवार निवास कर रहे हैं। निर्मित मकान पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा—20 एवं 42 लागू नहीं होता है। अतः आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Bande Kumar Singh
Adv
21/04/2

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:26:41 +05:30
Location: 192.168.1.51